न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—21/2018 (2018/00045) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता गिरधारी कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कस्तुर पिता बरदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मोहन पिता बरदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नेनु पिता लालु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—डाली बेवा लालु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—रामलाल माता सायरी पुत्री लालु कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
2/1—सुखी माता सायरी पुत्री लालु कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
2/1—पानी माता सायरी पुत्री लालु कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
3—श्रीमान् तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. हरिश टेलर — विपक्षीगण अधिवक्ता

दिनांक 01.10.2020

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1701/1171 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 1703/1171 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 1708/1702 रकबा 0.54 है0 भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नवीन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम थला की बिलानाम आराजी संख्या 1139 गै.मु. रास्ता से होकर बिलानाम आराजी 1144 में होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1166 में होकर बिलानाम आराजी नम्बर 1169 मे होते हुए प्रार्थीगण की आराजियात में जाता है। प्रार्थीगण इसी रास्ते को उपयोग करते हुए अपनी कृषि आराजियात में आवागमन करते है। प्राथीगण अपने पूर्वजो के समय से आवागमन करते आ रहे है परन्तु दिनांक 25.03.2018 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर आवागमन के उक्त विद्यमान रास्ते को बन्द कर दिया तथा आवागमन करने पर धमकिया दी। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या में किया गया है में आवागमन का 15 फीट चौड़ा रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 1166 की पश्चिमी पाली पर होकर जाता है में उपयोग में आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार रास्ता अंकित करने का आदेश विपक्षी संख्या 3 को प्रदान कराया जाए तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि प्रार्थीगण से ली जाकर विपक्षीगण को अदा करने का आदेश पदान कराया जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 के विधिक वारीस बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिकार पत्र श्री हरिश टेलर अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया जो पत्रावली है। एवं विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है। विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण विपक्षी की आराजियात में आवागमन नही करते है तथा प्रार्थीगण द्वारा बताये रास्ते अनुसार पूर्वजो के समय से आवागमन नही किया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि ग्राम थला की बिलानाम रास्ते की आराजी संख्या 1139 में प्रवेश कर आगे इस रास्ते के दक्षिण में स्थित निकटतम आराजी संख्या 1141 की पश्चिमी पाली क सहारे सहारे आवागमन करते रहे है। किन्तु आराजी संख्या 1141 का बंटवाड़ा हो जाने से इसके बटा नम्बर 1883/1141 रकबा 0.57 है0 व 1882/1141 रकबा 0.91 है0 कायम हो गये तथा प्रार्थीगण ने इन आराजियात के खातेदारो से मिलीभगत कर रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थीगण आराजी संख्या 1141 की पश्चिमी पाली होकर आवागमन करते रहे है और यही रास्ता निकटतम सुलभ व सुविधाजनक है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि वर्तमान में प्रकरण में विचाराधीन आराजियात में 1144 एवं 1166 में कोई रास्ता दर्ज नही है। मौके पर वर्तमान में लोहे की फाटक लगाकर रास्ता बन्द कर रखा है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही हैं। वर्तमान में इस आराजी में जाने के लिए बिलानाम आराजी नम्बर 1139 रास्ता से होकर 4 मीटर की चौड़ाई में बिलानाम आराजी नम्बर 1144 की पश्चिमी मेड़ पर होकर आराजी नम्बर 1166 की उत्तरी मेड़ पर होकर इसी आराजी की पश्चिमी मेड़ पर होते हुए बिलानाम आराजी नम्बर 1169 में प्रवेश कर मूल आराजी नम्बर 1171 में आवागमन किया जा रहा है परन्तु आराजी नम्बर 1166 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर लोहे की फाटक लगा दिये जाने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है उक्त आराजी नम्बर 1166 नेनु पिता लालु कुमावत वगैरहा निवासी पाटियाखेड़ा के नाम दर्ज है। प्रस्तावित आराजी नम्बर 1144 मे से रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1169 मे से 0.0300 है0 यानि कुल 500 वर्गमीटर भूमि बिलानाम जिसकी डीएलसी दर 77991 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 18024 रूपये की दुगुनी राशि 36048 रूपये एवं आराजी संख्या 1166 मे से 732 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण की बनती है जिसकी डीएलसी दर 77991 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 26387 रूपये की दुगुनी राशि 52774 रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता नही है।

प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तथा विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए आवेदन खारीज कराने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो आराजी नम्बर 1166 में चाहा गया है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी द्वारा जो जवाब में आराजी नम्बर 1141 की पश्चिमी पाली पर रास्ता होना अकिंत किया जिसके सम्बन्ध भू.अ.निरीक्षक से रिपोर्ट मंगवाई गई रिपोर्ट में अकिंत किया किया कि आराजी नम्बर 1141 में मौके पर कोई रास्ता नही होकर पूर्व प्रस्तावित आराजी नम्बर 1144, 1166 और 1169 में आवागमन किया जा रहा है। व इसी के साथ अन्य खातेदार भी इसी प्रस्तावित रास्ते से आवागमन कर रहे है। इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार न्युनतम दुरी का रास्ता आराजी नम्बर 1144, 1166 और 1169 का ही बनता है। ऐसी स्थिति में बिलानाम आराजी नम्बर 1139 रास्ता से होकर 4 मीटर की चौड़ाई में बिलानाम आराजी नम्बर 1144 ´की पश्चिमी मेड़ पर होकर आराजी नम्बर 1166 की उत्तरी मेड़ पर होकर इसी आराजी की पश्चिमी मेड़ पर होते हुए बिलानाम आराजी नम्बर 1169 में होते हुए मूल आराजी नम्बर 1171 में आवागमन किया जा रहा है जिसको राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1144 मे से रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1169 मे से 0.0300 है0 यानि कुल 500 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार जिसकी डीएलसी दर 77991 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 18024 रूपये की दुगुनी राशि 36048 रूपये मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराने एवं आराजी संख्या 1166 मे से 732 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण की बनती है जिसकी डीएलसी दर 77991 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 26387 रूपये की दुगुनी राशि 52774 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—21 / 2018 (2018 / 00045) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता गिरधारी कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कस्तुर पिता बरदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मोहन पिता बरदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नेनु पिता लालु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—डाली बेवा लालु कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2 / 1—रामलाल माता सायरी पुत्री लालु कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
2 / 1—सुखी माता सायरी पुत्री लालु कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
2 / 1—पानी माता सायरी पुत्री लालु कुमावत नि. रूपाकाखेड़ा तह. रायपुर जिला भीलवाडा
3—श्रीमान् तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—**तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थला तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1144 मे से रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 1169 मे से 0.0300 है0 यानि कुल 500 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार जिसकी डीएलसी दर 77991 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 18024 रूपये की दुगुनी राशि 36048 रूपये मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराने एवं आराजी संख्या 1166 मे से 732 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण की बनती है जिसकी डीएलसी दर 77991 रूपये प्रति बीघा होने से राशि 26387 रूपये की दुगुनी राशि 52774 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

1.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested